

①

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, म. प्र., भोपाल

⑦

पंजी क्रमांक २५५/शा०/१६

विषय :-

न्यायालयीन प्रकरण डब्ल्यू पी. क्र. २३४/१६ (एस) डा. सरोज गुप्ता
विरुद्ध २११८७

— 00 —

- 1 क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक/प्रावर्धक जलमगर
को प्राप्त न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू पी. २३४ / १६ (एस) को यानि
प्राप्त हुई है। प्राप्त याचिका का संबंध उपायनी सेवा जोड़ने का मत
से है।
- 2 प्रकरण में प्राचार्य, शा. कला एवं वाणिज्य महा. (म/प्र)
को प्राचीन अधिकारी नियुक्त किया जाना है, कृपया अनुमोदन करना चाहे
मान्य हो तो प्रनारी अधिकारी नियुक्ति आदेश की रक्कस प्रतियों पर हस्ताक्षर

88
15/2/16

3
15/2/16

आयुक्त सचिव महोदय


प्राचार्य, शा. कला एवं वाणिज्य
महावि. शा. को प्राचीन अधिकारी
बनाये जाने हेतु रक्कस प्रतियाँ
ए हस्ताक्षर करना चाहें।

AD KOLL 15/2/16

वि.क.अ. (नया प्रकोष्ठ)

केंद्राध्यक्ष OIC
AD को बनाये।

23/02/16



17/2/16

माहिक
25/2/16

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, म. प्र. भोपाल

पंजी क्रमांक.

विषय :-

न्यायालयीन प्रकरण डब्ल्यू पी. क्र. 2384/16 (एस) डा. लखोजगुप्ता
र-14-51 हिन्दी विरुद्ध

—00—

सचिव मध्यप्रदेश शासन उ.श. विभाग के आदेश क्रमांक

दिनांक में अतिरिक्त सहायक / प्राचार्य

को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जा चुका है। कृपया प्रतिरक्षण आदेश जारी करने हेतु नस्ती विधि विभाग की ओर अकित करना चाहें।

S.O.

टी.के. चोरसिया
दिकश

आयुक्त / सचिव महोदय

शिक्षा विभाग

Govt.
Jabalpur

पृष्ठ क्र... 3

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, म. प्र. भोपाल

पंजी क्रमांक. २५५/शा.क.प्र.५/२०१६

विषय :- न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक W.P. २३४५/२०१६ डॉ. सरोज गुप्त
सहायक प्राध्यापक - हिन्दी, शासकीय प्रजा एवं वाणिज्य
महाविद्यालय, सागर विरूद्ध शासन एवं अन्य ।

पूर्व पृष्ठ से :- प्रमाण पूर्व पृष्ठ क्रमांक ०१ (ख) अनुसार संशोधित
प्रकरण प्रभारी अधिकारी अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा सागर
संभाग सागर (म.प्र.) के आदेश की स्वच्छ प्रतिमां द्वारा

प्रस्तुत । अनुसार
स्वच्छ प्रति
२९/२/१६
०५३
२९/२/१६
२९/२/१६
३३/१६

29/02/16

05/03/16

जाक-५८८-८९
९/३/१६

५/३/१६

Govt.
Jabalpur

पृष्ठ क्र. (4)

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, म. प्र. भोपाल

पंजी क्रमांक. २५५/सा.शिक्षा.५/१६

विषय :- जवाहरनगर प्रकरण क्रमांक W.P. २३४५/२०१६ डॉ. सरोज
कुल, सहायक छात्रावास - हिन्दी, शासकीय जेमा एवं वाणिज्य
महाविद्यालय, सागर विरुद्ध शासन।

पूर्व पृष्ठ ले २

प्रकरण में डॉ. आर. पी. आदेश जारी किये
जा चुके हैं। कृपया नवनी प्रतिरक्षण हेतु विधि विभाग
को सूचित करना चाहे।

osp

कृपया,

प्रतिरक्षण हेतु नवनी विधि-विभाग

को सूचित करना चाहे।

10/10/16

10/10/16

11/3

आयुक्त/लिनिक

विधि-विभाग

उमाकान्त उमराव

सचिव/आयुक्त

वि. शासन, उच्च शिक्षा

CHS	R.No.	282/16
	IN	11/3/16
	OUT	21/4/16

प्रतिरक्षण आदेश जारी कर प्रति नस्ती पत्र जारी है।

(अमिताभ मिश्र)

सचिव
विधि विभाग

आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग

17/11/216

①

~~कार्यालय-क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, जबलपुर- संभाग, जबलपुर~~

क्रमांक: 224 / विधि प्रकोष्ठ / 16,
प्रति,

जबलपुर, दिनांक 5 फरवरी, 2016

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी-न्यायालयीन प्रकोष्ठ,
कार्यालय आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
सतपुड़ा भवन, तीसरी मंजिल,
भोपाल ।

विषय :- न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक WP-2384/2016, डॉ० सरोज गुप्ता, सहायक प्राध्यापक- हिन्दी, शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, सागर विरुद्ध शासन ।

विषयान्तर्गत न्यायालयीन प्रकरण में शासन की ओर से जवाबदावा दाखिल किया जाना है ।

प्रकरण के संबंध में आवश्यक जानकारी निम्नानुसार है :-

1. प्रकरण क्रमांक : WP-2384/2016
2. याचिकाकर्ता का नाम : डॉ० सरोज गुप्ता, सहायक प्राध्यापक- हिन्दी, शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, सागर
3. प्रकरण का विषय : आपाती सेवा जोड़ने बावत् ।
4. प्रकरण का संबंध : शासकीय महाविद्यालय,
5. संभाग : सागर संभाग
6. प्रस्तावित प्रकरण प्रभारी : प्राचार्य, शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, सागर ।

कृपया शीघ्र प्रकरण प्रभारी आदेश जारी कर एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।
संलग्न :- याचिका की प्रति ।

माहसुल
22
08/02/16

अतिरिक्त संचालक
उच्च शिक्षा, जबलपुर-संभाग
जबलपुर

Nil.

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
PRINCIPAL SEAT AT JABALPUR.

Writ Petition No. 2384 /2016

PETITIONER

: Dr. Saroj Gupta, W/o Shri
 Harimohan Gupta, aged about
 53 years, Assistant Professor
 (Hindi), Government Arts and
 Commerce College Sagar,
 Distt. Sagar (M.P.).

VERSUS

RESPONDENTS

- : 1. State of Madhya Pradesh,
 through Secretary to the
 Government of Madhya
 Pradesh, Department of
 Higher Education, Vallabh
 Bhawan Mantralaya, Bhopal
 (M.P.).
2. Commissioner of Higher
 Education Government of
 Madhya Pradesh, Satpuda
 Bhawan, Bhopal (M.P.).
3. The Principal, Government
 Arts and Commerce College
 Sagar, Distt. Sagar (M.P.).

WRIT PETITION UNDER ARTICLE 226 OF THE
CONSTITUTION OF INDIA

1. Particulars of the Cause/order against which the petition is
made:
- | | | |
|--------------------------|---|------|
| (i) Date of Order | : | Nil. |
| (ii) Passed in Order No. | : | Nil. |
| (iii) Passed by | : | Nil. |

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 488 245/अतिरिक्त/मिन्त्रा/शा/नं. 9/2016 भोपाल दिनांक 9/3/16

सिविल प्रक्रिया संहिता 1990 (1908 का अधिकतम संख्या-5) के आदेश सत्ताईस नियम-1 तथा
-1 अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त संचालन, उच्च शिक्षा सागर

संचालन सागर को या चेका क्रमांक W.P. 2384/2016

(पक्षकारों के नाम) डॉ. सरोज गुप्ता, सहायक प्राध्यापक, दिल्ली

शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, सागर विरुद्ध शासन।

के मध्यप्रदेश राज्य के लिये तथा उसके ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवचनांक पत्र पर हस्ताक्षर करने तथा इन्हें सत्यापित करने के लिये कार्य करने आवेदन करने और उप संज्ञात होने के लिये नियुक्त करते हैं, प्रभारी अधिकारी को आदेश दिया जाता है, कि मध्यप्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति तुरन्त पश्चात् बादों में ऐसी स्थिति में जिसके ब्यौरे नीचे दिये गये हैं, निम्नलिखित कार्य करेगा:-

1/ प्रभारी अधिकारी मामले के तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जांच करेगा जैसा की आवश्यकता हो, और याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिससे कि मामले के संचालन में विधिक/शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुँचेगी, रिपोर्ट तैयार करेगा। यदि किसी प्रक्रम पर विधि विभाग से परामर्श किया गया हो तो उसे विभाग की रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट किया जायेगा।

2/ समस्त सुरगत फाइलें, दस्तावेज, निगम अधिसूचना तथा आदेश एकत्रित करेगा।

3/ उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से सम्पर्क करेगा।

4/ शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित/कथन उत्तर तैयार करवाएगा।

5/ महत्वपूर्ण/नीतिगत प्रकरणों में तैयार किये गये लिखित/कथन या उत्तर विभागीय/प्रशासकीय अनुमोदन हेतु निम्नानुसार भेजेगा:-

1/ वाद/पत्र को एक प्रति के साथ प्रकरण तथा लिखित कथन की संक्षेपिका।

2/ प्रस्तावित लिखित कथन का प्रारूप।

3/ उन सभी दस्तावेजों की सूची तथा प्रतिलिपि जिन्हें साक्ष्य स्वरूप न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है।

4/ मामले विरुद्धीकरण के लिये आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियों में वाद की तारीख भी वर्णित होनी चाहिये।

6/ मामले की तैयारी और संचालन में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले के प्रक्रम और संबंधित नियमों में किये परिवर्तन से स्वयं को सदैव अवगत रखेगा।

7/ जब भी कोई आदेश/निर्णय विशिष्ट तथा मध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता है। विधि विभाग एवं प्रशासकीय विभाग को सूचित करना तथा उसकी एक प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिये उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करेगा।

8/ अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही करने के लिये इस विभाग को भेजेगा।

9/ यह देखना कि आवेदन करने, प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में अनावश्यक समय नष्ट न हो।

10/ जैसे ही उसे अपना स्थानांतरण आदेश प्राप्त होता है, वह अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा। यह वर्तमान पद भार देने के पश्चात् भी तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाता है।

11/ प्रभारी अधिकारी मामलों को तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता की हर संभव मदद / सहयोग करेगा तथा सुनिश्चित करेगा कि वाद के लिये उत्तरदायी कोई महत्वपूर्ण तथ्यात्मक दस्तावेज अप्रकटित नहीं रह जाये।

12/ महत्वपूर्ण / नीतिगत मामलों में निर्धारित दिनांक को न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

13/ जिन प्रकरणों में माननीय मुख्य सचिव, को पदकार बनाया गया है, ऐसे मामलों में माननीय मुख्य सचिव, का नाम विलिखित करने हेतु न्यायालय के समक्ष शीघ्रतः शीघ्र आवेदन दायर कर विलिखित करवाये।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

सचिव

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल
भोपाल, दिनांक 9/3/16

पृष्ठ संख्या 488/245/उशिवि/मंत्रालय/न्याय/
प्रतिलिपि—

1/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय भोपाल जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर जंमना न.प्र. की ओर।

2/ प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग विध्यालय भवन भोपाल

3/ संबंधित जिलाध्यक्ष सागर मध्यप्रदेश।

4/ अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग सागर (म.प्र.)

प्रभारी अधिकारी की ओर अग्रेषित। साथ ही शासकीय अधिवक्ता से सम्पर्क करने और उपस्थिति प्रमाण-पत्र प्राप्त रिपोर्ट प्राप्त करने तथा आनी प्रत्येक भेंट (विजिट) पर शासकीय अधिवक्ता से आगे की कार्यवाही के लिये सलाह करने और मामले में अपनी प्रगत रिपोर्ट की एक प्रति इस विभाग के साथ विधि विभाग को सदैव है। भेजना चाहिये वाद पत्र की प्रति इस विभाग को आवश्यक रूप से भेजी जाए, मामले की सुनवाई की तारीख की सुनवाई हेतु नियत की गई थी/हैं।

5/ क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा जबलपुर सागर जबलपुर (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आदर्शक कार्यवाही हेतु।

सचिव

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल